मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-14.09.2016 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य सचिवालय के सभा कक्ष में सम्पन्न Empowered Committee (C.W.J.C./M.J.C./ L.P.A/S.L.P.) से संबंधित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही:-

बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी प्रधान सचिव/सचिव को सम्बोधित करते हुये बताया गया कि यह बैठक विशेष रूप से सभी विभागों में लम्बित C.W.J.C./M.J.C. /L.P.A/S.L.P. मामलों के त्वरित निष्पादनार्थ आहूत की गई है। अत: सभी प्रधान सचिव/सचिव अपने विभाग की साप्ताहिक समीक्षा कर लम्बित मामलों में ससमय (चार सप्ताह के अन्दर) प्रतिशपथ-पत्र/कारणपृच्छा दाखिल करने की कारवाई सुनिश्चित करें।

1. बैठक में बिहार राज्य के विरुद्ध दायर मामलों के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि गत माह राज्य सरकार के विरुद्ध 1191 मामले दायर किए गए जबकि मात्र 835 मामलों में ही प्रतिशपथ-पत्र दायर किया गया। इस संबंध में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए प्रतिशपथ-पत्र दायर करने की प्रक्रिया हेतु गंभीर होने का निर्देश सभी विभागों को दिया गया।

2. बैठक हेतु पर्यटन विभाग एवं ऊर्जा विभाग का प्रतिवेदन अप्राप्त रहा। नगर विकास एवं आवास विभाग एवं निगरानी विभाग का प्रतिवेदन विलंब से प्राप्त हुआ। इस संदर्भ में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने हेतु निर्देश सभी विभागों को दिया गया।

3. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार के द्वारा लंबित CWJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में **सामान्य प्रशासन विभाग, वाणिज्यकर विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्र विभाग, जल संसाधन विभाग एवं कृषि विभाग** के प्रदर्शन पर संतोष व्यक्त किया गया। इसी क्रम में MJC के लंबित मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने में **वाणिज्यकर विभाग, जल संसाधन विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सहकारिता विभाग** का प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया।

4. CWJC एवं MJC के मामलों में प्रतिशपथ-पत्र दायर करने के संबंध में असंतोषजनक प्रदर्शन करने वाले विभागों के संबंध में बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा चर्चा किया गया, जो निम्न है:- CWJC :-

विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या
ग्रामीण विकास विभाग	149	3
समाज कल्याण विभाग	559	17
पंचायती राज विभाग	256	17
शिक्षा विभाग	1840	154
स्वास्थ्य विभाग	798	91

MJC :-

विभाग का नाम	प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु लंबित मामले	प्रतिशपथ-पत्र दायर किए गए मामलों की संख्या
ग्रामीण कार्य विभाग	11	0
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	20	1
परिवहन विभाग	27	4
शिक्षा विभाग	162	24
पथ निर्माण विभाग	11	2

मुख्य सचिव, बिहार द्वारा खेद व्यक्त करते हुए लंबित मामलों में अविलम्ब प्रतिशपथ-पत्र दायर करने हेतु संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को निर्देश दिया गया।

5. CWJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (1686 मामले), स्वास्थ्य विभाग (707 मामले), समाज कल्याण विभाग** (542), राजस्व एवं **भूमि सुधार विभाग (394 मामले) एवं पंचायती राज विभाग** (239) में लम्बित है। इसी प्रकार MJC के मामले में प्रतिशपथ-पत्र दाखिल करने हेतु सर्वाधिक मामले **शिक्षा विभाग (138 मामले), स्वास्थ्य विभाग (39 मामले), परिवहन विभाग (23 मामले), राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग विभाग (19 मामले) एवं जल संसाधन विभाग** (12 **मामले**) में लम्बित है। लम्बित मामलों में शीघ्र प्रतिशपथ-पत्र/ कारणपृच्छा दायर करने हेतु मुख्य सचिव, बिहार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिव/सचिव को निर्देश दिया गया, ताकि मामलों की संख्या में कमी लाया जा सके।

6. बैठक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु नियुक्त विधि पदाधिकारियों/अधिवक्ताओं के संबंध में चर्चा करते हुए मुख्य सचिव, बिहार द्वारा बताया गया कि विभागीय सचिवों के प्रतिवेदन के आधार पर 24 सरकारी वकीलों को हटाया गया है। इसके साथ ही विभागवार सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है जो दो प्रधान अपर महाधिवक्ताओं के अधीन होंगे।

7. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा इस बात पर भी चर्चा किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना में राज्य सरकार के विरुद्ध दायर मामलों की सुनवाई के क्रम में विधि पदाधिकारियों के विरुद्ध किए गए शिकायतों के संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री, बिहार की अध्यक्षता में नवनियुक्त विधि पदाधिकारियों की एक बैठक का आयोजन आज ही दिनांक-14.09.16 को अपराह्न 5.30 निर्धारित किया गया है।

8. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि किसी मामलें में यदि विभाग को समय की आवश्यकता है, तो इसकी सूचना संबंधित अधिवक्ता को ससमय उपलब्ध करा दिया जाय ताकि सुनवाई के क्रम में अधिवक्ताओं को यह कहने का मौका नहीं मिले कि विभाग द्वारा कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुआ है।

9. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में लंबित मामले के संदर्भ में चर्चा करते हुए बताया गया कि वैसे मामले जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है, उन मामलों में एल0पी0ए0 दायर किये जाने की स्थिति बनती है अथवा नहीं इस संबंध में संबंधित अधिवक्ताओं द्वारा संबंधित विभागों को ससमय संसूचित किया जाना चाहिए।

सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त हुई।

(अंजनी कुमार सिंह)
मुख्य सचिव, बिहार।

बिहार सरकार

<u>विधि विभाग</u>

ज्ञापांक-याचिका-ए0-109/2013/6060**जे0** **पटना, दिनांक-**05-10-16

प्रतिलिपि:- सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार) 5.10.2016
सरकार के सचिव, बिहार।